न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00421

1. चतुर्भुज पत्र गणेश जाति नाई निवासी ग्राम तेत्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बालचन्द उर्फ चतुर्भुज जाति नाई ।
   1/2. दिनेश पुत्र चतुर्भुज जाति नाई ।
   1/3. नन्दू बाई पुत्री चतुर्भुज जाति नाई ।
   1/4. मुकेश बाई पुत्री चतुर्भुज जाति नाई ।
   1/5. मंजू बाई पुत्री चतुर्भुज जाति नाई निवासीगण ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रतन बाई बेवा प्रभूलाल जाति अहीर ।
   1/2. पप्पू पुत्र प्रभूलाल जाति अहीर ।
   1/3. बालमुकन्द पुत्र प्रभूलाल जाति अहीर निवासीगण तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक चतुर्भुज ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर मिन 212/1 की रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि को वादी गत 20 वर्षो से भी अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण जबरन वादी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं । यदि प्रतिवादीगण अपने इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण अथवा उसके प्रतिनिधि किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे वादी को शांन्तिपूर्वक वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने दें, यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया हो तो उन्हें उससे बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2007 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करके प्रतिवादी को बेदखल कर भूमि को कब्जे राज लेने हेतु तहसीलदार, रामगंजमण्डी को निर्देशित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 25.10.2007 से व्यथित होकर प्रतिवादी मृतक प्रभूलाल के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 40/11 तथा वादी मृतक चतुर्भुज के वारिसान ने अपील संख्या 16/113 पेश की । न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2018 के द्वारा अपील संख्या 40/11 खारिज करते हुए वादी (मृतक) चतुर्भुज के वारिसान द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 16/113 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया ।

7. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2018 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2019 के द्वारा वादी का वाद एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक रखने का आदेश पारित किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 से व्यथित होकर वादी मृतक चतुर्भुज के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट ने वादी को किये गये आवंटन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । वादी अपीलान्ट को निरन्तर कब्जे के आधार

पर नामान्तरकरण संख्या 139 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट को मदाखलत व मजाहमत करने को कानूनी अधिकार नहीं है । वादी को वादग्रस्त आराजी के आवंटन किये जाने के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि वादी का दावा तो खारिज किया जा सकता है परन्तु बिना विधिक प्रकिया अपनाए सीधे ही आराजी को सिवायचक दर्ज नहीं किया जा सकता । इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के पिता ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में एक राजस्व वाद प्रतिवादी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । प्रतिवादी के द्वारा इस दावे में काउन्टर क्लेम पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.10.2007 को दावा एवं काउन्टर क्लेम दोनों ही खारिज किये गये जिसकी अपील इस न्यायालय में पेश की गई और अपील में दिनांक 22.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी प्रभूलाल की अपील को खारिज किया और वादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । रिमाण्ड होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है जबकि वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्त हैं । दावा इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जबकि वादग्रसत आराजी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.10.2007 की अनुपालना में सिवायचक दर्ज की गई है और वो निर्णय इस न्यायालय के द्वारा अपास्त किया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा वो ही पेश कर सकता है जिसका आराजी पर कब्जा हो । वादग्रस्त आराजी का वादी बेचान कर चुके हैं और आराजी सिवायचक दर्ज है आराजी के बाबत् धारा 91 एल0आर0 एक्ट के नोटिस रेस्पोडेन्ट को जारी किये जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 बहाल रखा जावे ।

12. अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि आराजी को सिवायचक गलत दर्ज किया गया है । वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.10.2007 को निर्णय पारित करते हुए

दावा एवं काउन्टर क्लेम दोनों ही खारिज किये गये थे और इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2018 को अपीलान्ट प्रतिवादी की अपील खारिज की गई थी और अपीलान्ट वादी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था और निर्णय में स्पष्ट रूप से पैरा संख्या 17 में यह अंकित किया गया था कि स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित नहीं किये जा सकते परन्तु खेद का विषय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय की सही तरीके से अवलोकन किये बिना एवं उसकी पालना किये बिना ही पुनः निर्णय पारित करते हुए यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज रखना उचित है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई हैं उनमें कहीं भी आराजी को सिवायचक दर्ज करने के बारे में तनकी कायम नहीं की गई है । आराजी को सिवाय चक दर्ज करने की प्रार्थना न तो वादी के द्वारा की गई है और न ही प्रतिवादी के द्वारा की गई है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी चतुर्भुज बेटा गणेश जाति नाई के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर एक कच्ची तहरीर प्रदर्श– डी–1, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– डी–2, धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस की प्रति प्रदर्श– डी–3, डी–4, डी–5, डी–6, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– डी–7, डी–8 संलग्न हैं ।

15. वादी की ओर से बयान चतुर्भुज एवं रघुनाथ कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से बयान प्रभूलाल डीडब्ल्यू–1 एवं मोहनलाल कराये गये हैं ।

17. वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया है और पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 212/1 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति जो पत्रावली पर संलग्न है उसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 1.11 हैक्टर बने हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 400 के बाबत् जो धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस की प्रति पेश की हैं उससे यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा नहीं है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा काबिज व्यक्ति के द्वारा ही पेश किया जा सकता है । पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2007 की अनुपालना में यदि वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है तो यह विधि–विरूद्ध है क्योंकि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2018 में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जा चुका है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में किसी खातेदार की आराजी को सिवायचक घोषित नहीं किया जा सकता । किसी खातेदार की आराजी को सिवायचक घोषित करने के लिए विधि में जो विहित प्रावधान निहित हैं उसके अनुसार भूमिधारक आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं परन्तु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में आराजी को सिवायचक दर्ज नहीं किया जा सकता । अपीलाधीन निर्णय में भी अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी को सिवायचक दर्ज रहना उचित माना है जो विधि–विरूद्ध है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से इसमें आंशिक संशोधन किया जाना उचित समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

दावा वादी खारिज किया जाता है काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है । तहसीलदार, रामगंजमण्डी विहित प्रावधानों के तहत आराजी को सरकारी सिवायचक दर्ज कराने हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

19. निर्णय आज दिनांक 11.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा